न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड),भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

मूल वाद सं०–129/2014

श्रीमती नाहिद कौसर बनाम मो० उमर आदि ।

03–10–2018

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । उभय पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । वादिनी श्रीमती नाहिद कौशर के द्वारा प्रार्थना पत्र 39 क 1 मय शपथपत्र 40 ग 2 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए उसने उपशम अ द्वारा यह अनुतोष मांगा है कि वह लोग वादिनी के मकान पर किसी प्रकार से कब्जा व निर्माण न करें लेकिन प्रतिवादीगण मुकदमें के विचारधीन अवस्था में बिना किसी अधिकार व स्वामित्व के निर्माण कर लिया गया इस कारण ऐसी अवस्था में वादिनी को वादपत्र में संशोधन करने की आवयश्कता हुई । अतः वादिनी की ओर से वांछित संशोधन की अनुमति की याचना की गयी है ।

प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त करायी गयी ।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति 41 ग 1 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादिनी के द्वारा माह अक्टूबर 2017 में निर्माण कार्य करने व कब्जा करने का कथन किया जा रहा है । प्रश्नगत स्थल के समस्त निर्माण काफी पुराने हैं । वादी में जारी कमीशन दिनांक 29–10–2017 को मौके पर गया था जहां पर मौके पर प्रतिवादी का कब्जा व दखल उभय पक्षों की उपस्थित में पाया गया एवं निर्माण पुराने होना पाया गया । वादिनी द्वारा लम्बे समय के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है । वादिनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रतिवादी की ओर से औपचारिक आपत्ति की गयी है । उक्त संशोधन दौरान वाद प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कर लिये जाने से सम्बन्धित है । उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति नहीं बदलती है । प्रार्थना पत्र शपथपत्र से सम्बन्धित है । अतः प्रार्थना पत्र 39 क 1 वाद की बहुलता रोकने व न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र 39 क 1 स्वीकार किया जाता है । प्रार्थनी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करे । पत्रावली दिनांक 05–11–2018 को पेश हो ।

सिविल जज (जू०डि०)
भोगनीपुर,कानुपर देहात ।

03-10-2018